| सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | फाल्गुन 21, सोमवार, *शाके* 1945-मार्च 11, 2024<br>*Phalguna 21, Monday , Saka 1945- March 11 , 2024* | |


**भाग-1(ख)**

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

**वन विभाग**

विज्ञप्ति

**जयपुर, जनवरी 30, 2024**

**संख्या प. 2(44)वन/2024** :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकी सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर-भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप-धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्है लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादक में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ओफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्है लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती है। तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वनभूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विषेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही आयेगी। और न उन पर कोई प्रभाव प्रडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त सरंक्षित वन के ये वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरो को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की

वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

**मोनाली सेन,**
**विशिष्ठ शासन सचिव, वन।**

प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

## प्रथम अनुसूची

| क्रं.सं. | नाम वनखण्ड | नाम तहसील | नाम जिला | सीमाऐं | विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ग्राम | खसरा नं0 | क्षेत्रफल है0 में |
| 1 | बाझडा | टपूकडा | अलवर | उत्तर:- काश्त भूमि देह हाजा<br>दक्षिण:- सीमा ग्राम भलेसर<br>पूर्व:- ख.नं. 98 राजस्व भूमि<br>पश्चिम:- ख.नं. 83 राजस्व भूमि | बाझडा | 104/83 | 12.075 |
| | | | | कुल योग:- | | 1 | 12.075 |

**ए.के. श्रीवास्तव,**
**उप वन संरक्षक,**
**अलवर।**

**द्वितीय अनुसूची**

**पेडो की सूची**

| क्र.सं. | बोटेनिकल नाम | हिन्दी नाम |
|---|---|---|
| 1 | Anogeissus pendula | धोकडा, धो, फलधी, धोक |
| 2 | Azadirachta indica | नीम |
| 3 | Acacia nilotica | बबूल |
| 4 | Acacia catechu | खेर |
| 5 | Ziziphus nummularia | बेर |
| 6 | Acacia leucophloea | रौंझ, सफेद खेर |
| 7 | Balanites roxburghii | हींगोट |
| 8 | Prosopis cineraria | खेजडा |
| 9 | Pongamia pinnata | करंज |
| 10 | Salvadora persica | जाल |

**ए.के. श्रीवास्तव,**
**उप वन संरक्षक,**
**अलवर।**

**परिशिष्ट - क**

**प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक, द्वारा प्रमाण पत्र**

वन खण्ड - बाझडा
रेंज - तिजारा
वन मण्डल - अलवर

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण क्रमशः गैर मुमकिन बीहड है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों मे बिना नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षैत्रों मे विकास कार्य कराया गया है/कराना है। इनमें काई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।
3. वर्तमान मे कुछ क्षैत्रों में प्लांटेशन एवं अन्य विकास कार्य वर्ष से में कराये गये है। इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य में अन्य क्षैत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का घनत्व कुछ क्षेत्रों में 0.01 है। तथा कुछ क्षैत्रों में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों बबूल, रोझ, करंज व धोक का लगभग प्रतिशत 30, 30, 10 एवं 5 है, तथा कुछ क्षैत्रों में घनत्व नगण्य है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षैत्र वन एवं राजस्व (राजस्व बंजर/चरागाह/वन) भूमि है, तथा चारों और की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विाज्ञप्ति के कॉलम सं. 5 मे कर दिया गया है।
6. वनखण्ड का वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है, एवं विज्ञप्ति मे दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्रों की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7. प्रस्तवित वनों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है, किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट मे प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसमें कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त वन भूमि का पूर्व मे राजपत्र मे प्रकाशन नहीं हुआ है।

**ए.के. श्रीवास्तव,**
**उप वन संरक्षक,**
**अलवर।**

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**